

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/सहा.प्र.अ./डीपीसी/2017-18/संस्था/बीमा/2018/ 48

दिनांक : 12 APR 2018

आदेश

निम्नांकित वरिष्ठ सहायक जिनका प्रकरण उनके सम्मुख अंकित चयन वर्ष में पदोन्नति हेतु सील बन्द किया गया था, को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :

क्र.सं.	नाम	अजा/ अजजा	चयन वर्ष	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1.	श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री छाजुराम	अजजा	2014-15	सीकर	श्रीगंगानगर
2.	श्री बाबूलाल जाटव पुत्र श्री फूस्याराम	अजा	2014-15	जयपुर ग्रामीण	बांसवाडा
3.	श्री रूप सिंह जाटव	अजा	2015-16	करौली	प्रतापगढ



(भंवर लाल मेहरा)

निदेशक,

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/सहा.प्र.अ./डीपीसी/2017-18/संस्था/बीमा/2018/ 928-988

दिनांक : 12 APR 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
5. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभागीय कार्यालय
6. सिस्टम्स एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
7. संयुक्त निदेशक (संस्थापन)/संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक/उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय
9. सम्बन्धित कर्मचारी
10. केडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक ।
11. सम्बन्धित सेवा पुस्तिका लिपिक/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।



(किशनाराम ईशरवाल)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।